

'Special Inquiry Committee to investigate alleged illegal restoration of cancelled license of a ration shop in Burari'

Terms of reference of the Committee:

1. To look into the correctness or otherwise of the procedure adopted by the authorities concerned in cancelling the licence of the said ration shop,
2. To look into the correctness or otherwise of restoration of the cancelled licence as ordered by Hon'ble Lt. Governor,
3. To examine existence of *mala fide* intent, if any, in the decisions referred to above,
4. To investigate grave allegation of bribery that is supposed to have taken place for restoring the cancelled licence,
5. To receive complaints on similar such matters and to investigate the same and
6. To take up any other matter that is incidental or consequential to the issue under examination;

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House;

That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

That the Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the fifth Session of the sixth Legislative Assembly"

बुराड़ी में राशन की एक दुकान के निरस्त लाइसेंस के पुनः स्थापन में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति

समिति के विचारार्थ विषय :

1. उक्त राशन की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के औचित्य या अनौचित्य की जांच करना;
2. माननीय उप राज्यपाल के आदेशानुसार रद्द लाइसेंस को पुनः जारी करने के औचित्य या अनौचित्य की जांच करना;
3. उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में, यदि कोई दुर्भावना हो तो उसका परीक्षण करना;
4. रद्द लाइसेंस को पुनः जारी करने में संभावित रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप की जांच करना;
5. ऐसे समरूप मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना;
6. जांच के अधीन विषय के प्रासंगिक या अनुवर्ती किसी अन्य मामले को विचारार्थ लेना;
समिति सदन द्वारा दिये गये आदेश को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है;
समिति, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, जांच का कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है;
समिति विधान सभा की विद्यमान समितियों को उपलब्ध सभी शक्तियों और प्रतिरक्षा का उपयोग करेगी, और
समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को छठी विधान सभा का पांचवा सत्र प्रारम्भ होने से पहले सौंपेगी।”